राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांकः–रामाशिप / जय / ICT / Gen./ 2018 5214 दिनांक 21/8/2018

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) एवं
जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
समस्त जिले।

विषयः– आईसीटी लैब के समस्त उपकरणों का सुरक्षा बीमा करवाने संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आईसीटी योजनान्तर्गत संचालित समस्त कम्प्यूटर लैब में स्थापित समस्त उपकरणों का सुरक्षा बीमा करवाया जाना है। इस संबंध में निम्नानुसार चरणबद्व आईसीटी लैब का बीमा करवाया जाना है :

क्र.सं.	आईसीटी चरण	बीमा हेतु निर्देश
1	ICT-I (2008-13) (2500 Schools)	योजना की अवधि समाप्त हो चुकी है। सेवाप्रदाता द्वारा कम्प्यूटर लैब विद्यालय प्रशासन को हस्तान्तरित की जा चुकी है। अतः इसका सुरक्षा हेतु बीमा विद्यालय स्तर पर संस्थाप्रधान द्वारा किया जाना है। इस हेतु विद्यालय छात्र विकास कोष एवं अन्य बचत राशि से कम्प्यूटर लैब का सुरक्षा बीमा करवाया जाना सुनिश्चित करे।
2	ICT-II (2010-15) (2000 Schools)	
3	ICT-III (2014-19) (2000 Schools)	सेवाप्रदाता द्वारा कम्प्यूटर लैब का सुरक्षा बीमा करवाया गया है। अतः उपकरणों की चोरी इत्यादि की घटना होने पर संस्थाप्रधान द्वारा एफआईआर दर्ज करवाकर सेवाप्रदाता/जिला कार्यालय को सूचित किया जावे तथा लैब को पुर्नस्थापित करने के संबंध में भी सुदृढ़ प्रयास करें।
4	ICT-IV (2015-20) (525 Schools)	कम्प्यूटर लैब की सुरक्षा हेतु बीमा विद्यालय स्तर पर संस्थाप्रधान द्वारा किया जाना है। इस हेतु आईसीटी योजनान्तर्गत जिला कार्यालय से आवंटित की गई राशि का उपयोग कर समस्त उपकरणों का सुरक्षा बीमा करवाया जाना सुनिश्चित करे।
5	ICT-V (2016-21) (303 Schools)	सेवाप्रदाता द्वारा कम्प्यूटर लैब का सुरक्षा बीमा करवाया गया है। अतः उपकरणों की चोरी इत्यादि की घटना होने पर संस्थाप्रधान द्वारा एफआईआर दर्ज करवाकर सेवाप्रदाता/जिला कार्यालय को सूचित किया जावे तथा लैब को पुर्नस्थापित करने के संबंध में भी सुदृढ़ प्रयास किया जावे।
6	25:75 Scheme (2018-23) (1172 Schools)	

बीमा के अभाव में चोरी इत्यादि होने की स्थिति में उपकरणों की समस्त जिम्मेदारी विद्यालय के संस्थाप्रधान की होगी। विद्यालय में चोरी इत्यादि की घटना होने पर संस्थाप्रधान

www.rajteachers.com

द्वारा एफआईआर करवाई जायेगी एवं इसकी सूचना संबंधित सेवाप्रदाता कम्पनी, जिला कार्यालय को तत्काल भेजी जायेगी तथा एफआर की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

समस्त आईसीटी लैब स्थापित विद्यालयों को सुरक्षा बीमा हेतु उक्त तालिका में चरणवार दिये गये निर्देशों की अनुपालना के लिए पाबंद करे एवं समस्त विद्यालयों के सुरक्षा बीमा कार्यवाही पूर्ण होने की सूचना 15 दिवस में राज्य कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करे।

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकः–रामाशिप/जय/ICT/Gen./2018 5215 दिनांक 21/8/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिअ, जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा को प्रतिलिपि देकर लेख है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावें।
3. समस्त संबंधित आईसीटी संचालित विद्यालय के संस्थाप्रधानों को पत्र प्रेषित कर लेख है कि कम्प्यूटर लैब में स्थापित समस्त उपकरणों की सुरक्षा बीमा करवाना सुनिश्चित करे।
4. संबंधित प्रबंधक, कम्प्यूकॉम/आईएल एण्ड एफएस, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

उपायुक्त–तृतीय